अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27 (02)ग्रावि / इं.आ. / जीओआई / पार्ट–1 / 2014–15 दिनांक 10 नवम्बर, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार स्वीकृतियां जारी करने के क्रम में।

योजना अंतर्गत जिला परिषद् के प्रभारी अधिकारियों की दिनांक 07.11.2014 की समीक्षा बैठक में यह ध्यान में लाया गया कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 हेतु जिलों को आवंटित किये गये वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप कुछ जिलों में लाभार्थियों की उपलब्धता में आ रही कठिनाईयों के कारण आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध सम्पूर्ण स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब हो रहा है। जिला गंगानगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पास अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आवंटित लक्ष्यों के अतिरिक्त लगभग 100 लाभार्थी उपलब्ध है, इसी तरह कुछ अन्य जिलों में भी निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति / जनजाति के लाभार्थी है।

योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 में जिला गंगानगर को अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आवंटित लक्ष्य के अतिरिक्त 100 अतिरक्त लक्ष्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा यदि अन्य जिलों में किसी विशेष वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अल्पसंख्यक) में आवंटित लक्ष्यों से अतिरिक्त लाभार्थी स्वीकृति हेतु पात्र / उपलब्ध है, तो ऐसे जिलों को स्वयं के जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अधिकतम 15 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अल्पसंख्यक हेतु अतिरिक्त लक्ष्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही यदि इससे अधिक स्वीकृतियां जारी की जानी अपेक्षित हो तो विभाग स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित कर विभागीय अनुमोदन के उपरांत ही स्वीकृतियां जारी की जावे।

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में तत्काल कार्यवाही कर जिला स्तर के लक्ष्य अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

10/11/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

E:\Anil BHARGAVA(information)_\data\backup on D\Indira 14-15.docx 197

प्रतिलिपि :—

1. संयुक्त सचिव (एस.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त योजना प्रभारी (आईएवाई) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) राजस्थान, जयपुर।

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)